रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, भोपाल बेन्च

श्री आलोक कुमार शुक्ल, माननीय सदस्य (तकनीकी) रे.दा.अ./भोपाल

दावा आवेदन क्रमांक	:	OA-IIu/BPL/59/2020
दावा पंजीकरण तिथि	:	03-03-2020
आदेशार्थ रखने की तिथि	:	24th November, 2023
आदेश तिथि	:	28th November, 2023
दावा राशि	:	Rs. 8,00,000/-

1) श्रीमती नीता रैकवार पत्नी स्व0 श्री नर्मदाप्रसाद रैकवार,
2) देवेन्द्र रैकवार पुत्र स्व0 श्री नर्मदाप्रसाद रैकवार,
3) दुर्गेश रैकवार पुत्र स्व0 श्री नर्मदाप्रसाद रैकवार,
4) कुमारी जया रैकवार पुत्री स्व0 श्री नर्मदाप्रसाद रैकवार,
(आवेदक क्रमांक–3 एवं 4 अल्पवयस्क होने से नैसर्गिक संरक्षिका के तौर पर माता होने से आवेदक–01 द्वारा)
5) दयाराम रैकवार पिता श्री खुल्ले रैकवार
6) श्रीमती दीपरानी पत्नी श्री दयाराम रैकवार,
निवासी–परशुराम मंदिर के पास,
जबलपुर नाका, सिविल वार्ड नंबर–02,
कोतवाली, जिला–दमोह (म0प्र0)

——————आवेदक

विरूद्ध

1) भारत संघ,
द्वारा–महाप्रबंधक, पश्चिम,
मध्य रेलवे, जबलपुर (म0प्र0)

——————रेस्पाडेन्ट

प्रतिनिधित्व : श्री आलोक श्रीवास्तव/श्रीमती फरज़ाना अजीज, आवेदक–अधिवक्ता,
श्री सुरेश नारायण सक्सेना, रेस्पाडेन्ट–अधिवक्ता
(बहस के दौरान प्रॉक्सी काउंसिल श्री ओमशंकर श्रीवास्तव)

:: नि र्ण य ::

1. आवेदकों ने अपने पति/पिता/पुत्र मृतक 44 वर्षीय मृतक नर्मदा रैकवार पिता श्री दयाराम रैकवार के अनपेक्षित घटना में मृत्यु होने के फलस्वरूप रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट, 1987 की सेक्शन–16 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में रूपये आठ लाख प्राप्त करने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदन व शपथपत्र के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मृतक हलवाई का काम करता था एवं दिनांक 08-04-2019 को वह अपने पिता अर्थात् आवेदक क्रमांक–5से मिलने के लिए कर्रापुर, सागर आया था एवं मिलने के बाद पिता द्वारा उसे सागर स्टेशन पर छोड़ा और मृतक ने पिता के सामने ही सागर से दमोह की अपनी यात्रा का टिकट खरीद कर बीना–कटनी पैसेन्जर ट्रेन में यात्रा कर रहा था कि यात्रा के दौरान अचानक वह गणेशगंज स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरकर ट्रेन की चपेट में आ गया जिससे आई हुई चोटों से उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। स्टेशन से सूचना प्राप्त होने पर जीआरपी/सागर द्वारा प्रकरण को मर्ग संख्या–1/19 पर पंजीबद्ध कर आगे की कार्यवाही संपन्न की। पैरा क्रमांक

Sd/

निरंतर——2/पर

रेल दावा अधिकरण
प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
भोपाल पीठ, भोपाल

11 में यह अभिकथन किया गया है कि दुर्घटना के कारण उसकी यात्रा का टिकट एवं मृतक के पास रखा सामान, यात्रा बैग व इसमें रखा हुआ सामान, पर्स में रखे हुए पैसे व कागजात, मोबाइल आदि सभी कुछ समान गुम हो गया है, वहीं पैरा-18 में यह कहा गया है कि कोई भी यात्री बिना पैसे या अन्य सामान लिये बिना यात्रा नहीं कर सकता है, मृतक के पास केवल पर्स से मात्र मोबाइल नंबर की पर्ची मिलना एवं अन्य कुछ न मिलना यही प्रमाणित करता है कि उसका सामान चुराया गया है। अतः अनटूवर्ड इंसीडेन्ट के अधीन अपने पति/पिता/पुत्र की मृत्यु होने से पत्नी, संतान व माता-पिता होने के नाते रेस्पाडेन्ट रेलवे से *आठ लाख रूपये* प्रतिकर राशि के रूप में प्राप्त करने हेतु आवेदकों ने यह दावा आवेदन प्रस्तुत किया है.

2. रेस्पाडेन्ट ने अपने प्रतिवादपत्र में दावे का जोरदार विरोध करते यह कहा है कि मृतक के पास से एक पर्स जिसमें एक मृतक का नाम लिखा परिवार पत्र एवं कुछ कागजात जिसमें टेलीफोन नंबर, एक सिम पाई गई है, यात्रा का कोई टिकट नहीं पाया गया है एवं आवेदक यह साबित नहीं कर पाये है कि मृतक ने यात्रा का टिकट खरीदा था तो उसके गुम हो जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता साथ वहीं वैधानिक तरीके से की गई अपनी जाँच रिपोर्ट जिसे डीआरएम रिपोर्ट कहा गया है, में पाये गये निष्कर्ष के आधार पर घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह श्री राघवेन्द्र सिंह राजपूत के अनुसार गाड़ी संख्या-51603 डाउन बीना-कटनी पैसेन्जर गणेशगंज स्टेशन पर प्रवेश हो रही थी, तभी मृतक गाड़ी के रूकने से पहले ही चलती गाड़ी से उतरा और प्लेटफार्म तथा गाड़ी के बीच आकर घायल हो गया जिसके पास पहुँचकर स्टेशन मास्टर एवं 108 एम्बूलेन्स को सूचित किया गया जिसे 108 एम्बुलेन्स द्वारा चेक कर मृत घोषित कर दिया गया. इस प्रकार दस्तावेजों के अनुसार मृतक के पास अन्य सामान तो प्राप्त हुआ है, किन्तु यात्रा का टिकट प्राप्त नहीं होने से वह बोनाफाइड पैसेन्जर नहीं था एवं प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार घटना भी गाड़ी के रूकने से पहले ही चलती गाड़ी से उतरने के दौरान घटित होने से मृतक का यह कृत्य निश्चित तौर पर 'सेल्फ इन्फ्लेक्टेड इंजुरी' के अधीन ही आने से घटना के लिए मृतक स्वयं जिम्मेवार होने से मुआवजा देने के अपने दायित्व से इनकार करते हुए आवेदन को व्यय सहित निरस्त करने की प्रार्थना रेस्पाडेन्ट द्वारा की गई गई है.

3. पक्षकारों के अभिवचनों और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निम्नलिखित इश्यूज बनाये गये :-

1) Whether the deceased was a bonafide passenger at the time of incident ?

2) Whether the death of the deceased caused due to the said alleged untoward incident as defined under Sec. 123 (c) (2) read with Sec. 124 A of Railways Act, 1989 ?

निरंतर.......3/पर

रेल दावा अधिकरण
इन्दौर
सत्य प्रतिलिपि
भोपाल पीठ, भोपाल

3) *Whether the Respondent railway Administration is protected under the Section 124-A of the Railways Act, 1989 and is not liable to pay any compensation to the applicants ?*

4) *Whether the applicants is the legal dependants of the deceased to claim/receive the compensation, if any, granted ? Who else are the dependants ?*

5) *Relief and cost ?*

4. आवेदकों की ओर से क्रमांक–5 ने अपने शपथपत्र *(AW/1)* के साथ–साथ लिखित साक्ष्य के तौर पर प्रकरण में *A-1 to 10* तक के दस्तावेज पेश किये हैं. रेस्पान्डेन्ट की ओर से डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* के रूप में लिखित साक्ष्य पेश करने के साथ–साथ उसकी ओर से घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह के तौर पर तत्समय प्वाईन्ट्समेन के तौर पर गणेशगंज स्टेशन पर ड्यूटी पर तैनात श्री राघवेन्द्र सिंह को भी शपथपत्र *(RW/1)* के साथ उपस्थित कराया गया है. इन दोनों ही साक्षियों का प्रति–परीक्षण कोर्ट के सम्मुख किया गया.

5. तदनुसार पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पेश की गई सारगर्भित बहस को बड़े ध्यान से सुन कर और अभिवचनों, प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन कर के, उक्त इश्यूज पर मेरा निष्कर्ष इस प्रकार है :–

:: निष्कर्ष ::

<u>इश्यूज क्रमांक–1 एवं 2</u> :

6. ये दोनों इश्यूज एक–दूसरे में निहित होने एवं विवरण में सुसंगता स्थापित करने हेतु इन पर एकसाथ विचार किया जा रहा है. आवेदकों की ओर से किये गये अभिवचन के आधार पर उनकी विदुषी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान यह तर्क पेश किये गये हैं कि मृतक सागर में अपने पिता से मिलने आया था, वापिस बीना–कटनी पैसेन्जर से जा रहा था, पिता उसे सागर स्टेशन पर छोड़ने आये थे, पिता के सामने ही यात्रा का टिकट खरीदा, यात्रा के दौरान गणेशगंज स्टेशन पर दुर्घटनापूर्वक नीचे गिर गया, पुलिस कार्यवाही में केवल पर्स ही मिला, अन्य सामान गुम हो गया, बुनियादी दस्तावेजों यथा स्टेशन मैमो (ए–1), स्टेशन डायरी (ए–2) आदि के साथ अन्य दस्तावेजों ए–3, 4, 5 एवं 6 में भी ट्रेन से गिरने से मृत्यु होने का अंकन है, इससे यह साबित है कि मृतक बीना–कटनी पैसेन्जर से यात्रा करते समय गणेशगंज स्टेशन पर चलती ट्रेन से नीचे गिरा है, चूंकि कोई भी व्यक्ति बिना सामान, पैसे एवं टिकट के यात्रा नहीं करता है इसलिए मृतक के पास से पर्स जिसमें पर्ची के अलावा कोई पैसे आदि न मिलना एवं सामान भी नहीं मिलने से यह साफ जाहिर होता है कि मृतक का यात्रा का टिकट सामान/पैसे आदि के साथ खो गया है, क्योंकि साक्षी–AW/1 स्वयं उसे स्टेशन पर छोड़ने गया था एवं इसी के सामने मृतक ने अपनी यात्रा का टिकट खरीदा है एवं इस साक्षी की गवाही से भी ऐसा कोई विपरीत तथ्य रेस्पांडेन्ट प्रगट नहीं करवा पाया है जिससे इस साक्षी की गवाही पर संदेह किया जा सके,

Sd/

निरंतर......4/पर

7. रेल यात्री (मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अनटूवर्ड इन्सीडेन्ट) नियम 2003 के नियम–3 के अधीन की गई वैधानिक जाँच, जिसे संक्षिप्त में डीआरएम रिपोर्ट (R-1) कहा गया है, में रेस्पाडेन्ट ने गणेशगंज स्टेशन पर मृतक के विवेचित यात्री गाड़ी से गिरने की घटना को स्वीकार किया है, किन्तु उसने अपना प्रतिरोध इस बात पर व्यक्त किया है कि एक तो साक्षी–RW/1 के अनुसार मृतक गाड़ी रूकने से पूर्व ही चलती गाड़ी से उतर रहा था जो कि सेल्फ इन्फलेक्टेड इन्जूरी की घटना है एवं मृतक के पास पुलिस द्वारा एक पर्स जिसमें उसका नाम लिखा परिवार पत्र एवं मोबाइल नंबर लिखी पर्ची एवं एक सिम बरामद की थी, इसलिए यदि वह टिकट खरीदता तो निश्चित ही टिकट भी बरामद हो जाता। अतः तत्समय वह बोनाफाइड पैसेन्जर भी नहीं था। रेस्पाडेन्ट के विद्वान प्रॉक्सी काउंसिल द्वारा बहस में यह दलील पेश की गई है कि मृतक गाड़ी के रूकने से पहले ही उतर रहा था, मतलब उसे इसी स्टेशन पर उतरना था और कोई व्यक्ति उतरेगा तो अपना सामान लेकर ही उतरेगा। यदि गाड़ी स्टार्ट हो जाने के बाद यदि कोई व्यक्ति चलती गाड़ी से उतरता है तो दुर्घटना को माना जा सकता है, किन्तु उसे जब यहीं उतरना था तो गाड़ी रूकने से पहले उतरना निश्चित ही डेयर डेविल्स एफोर्ट्स ही कहलाएगा, एवं गाड़ी रूकने से पहले ही यदि वह उतर रहा है तो निश्चित ही उसके पास टिकट नहीं होगा इसलिए कार्यवाही से बचने के लिए वह गाड़ी के रूकने से पहले उतर रहा था। रेस्पाडेन्ट के साक्षी–RW/1 ने भी कोर्ट के सम्मुख उपस्थित होकर सशपथ दोहराया है कि मृतक गाड़ी रूकने से पहले ही चलती गाड़ी से उतर रहा था।

8. मेरे द्वारा पत्रावलि पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन किया एवं उपस्थित साक्षियों की गवाही एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा अपने–अपने समर्थन में पेश की गई जोरदार बहस को ध्यान से सुना। साक्षी–RW/1 जाँच के दौरान किये गये अपने कथन (आर–1/34 एवं 35) एवं प्रस्तुत किये गये शपथपत्र में कहा है कि मृतक गाड़ी के रूकने से पहले ही चलती गाड़ी में से उतर रहा था एवं गिरने पर यह साक्षी मृतक के पास पहुँचा तो वह जीवित था एवं तत्काल उसने 108 एम्बुलेन्स को सूचित किया और डिप्टी एसएस को बताया एवं 108 एम्बुलेन्स आने पर उसे मृत घोषित कर दिया। आगे की कार्यवाही डिप्टी एसएस द्वारा की गई। किन्तु स्टेशन मास्टर की डायरी जो कि **Section 191 in The Railways Act, 1989** के अधीन स्वीकार्य दस्तावेज है, के अवलोकन से यह तथ्य सामने आता है कि उक्त गाड़ी के जाने के बाद मृतक गिरा पड़ा हुआ था जाकर देखा तो मृत हो चुका था, अर्थात इस साक्षी द्वारा मृतक को बाद में अटेण्ड किया गया है, क्योंकि यदि उक्त गाड़ी प्लेटफार्म पर प्रवेश करते समय ही मृतक गिरता तो निश्चित ही यह साक्षी तत्काल गार्ड/ड्रायवर को भी इसकी सूचना देता तो गार्ड/ड्रायवर द्वारा मेमो ड्रॉप किया जाता एवं इस घटना की इन्ट्री अपने–अपने बुक में करने के साथ–साथ स्टेशन को भी इसकी सूचना दी जाती। किन्तु रेस्पाडेन्ट की ओर से इनके उक्त दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं, तथा अन्य किसी भी दस्तावेजों में मृतक के चलती ट्रेन से उतरते समय नहीं अपितु इससे गिरने का ही अंकन है। इसलिए सेक्शन–191 के अधीन स्टेशन डायरी

Sd/

रेल दावा अधिकरण
प्रमाणित
सत्य प्रतिलिपि
भोपाल पीठ, भोपाल

के अंकन को ही स्वीकारते हुए यह माना जाता है कि मृतक उक्त गाड़ी से रुकने से पहले नहीं उतर रहा था, अपितु वह दुर्घटनापूर्वक ही गिरा है। अतः रेस्पाडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क खारिज किया जाता है कि घटना मृतक के डेयर डेविल एफोर्ट्स के कारण घटित हुई थी.

9. दूसरी ओर आवेदक क्रमांक–3 के कथन (आर–1/24) का अवलोकन किया जाए तो इसके अनुसार मृतक अपने पिता से मिलने के लिए दमोह से सागर आया था और पिता ने उसे 200/– रूपये भी दिये थे छोड़ने के लिए सागर भी आये थे, वहीं साक्षी–AW/1 ने कोर्ट के सम्मुख उपस्थित होकर सशपथ यही दोहराया है कि वह मृतक को सागर स्टेशन पर छोड़ने आया था और इसी के सामने मृतक पुत्र ने यात्रा का टिकट खरीदा था और ट्रेन में बैठकर चला गया था। इस साक्षी की गवाही इसलिए भी विश्वसनीय है क्योंकि रेस्पाडेन्ट की ओर से ही इस साक्षी का जीआरपी को दिया गया कथन अपनी डीआरएम रिपोर्ट के साथ आर–1/20 पर पेश किया है, जो कि घटना के बाद का पहला कथन है एवं इस कथन में साक्षी ने मृतक से मिलने के लिए सागर आना, 200/– रूपये इसके द्वारा मृतक को दिये जाना और सागर स्टेशन पर छोड़ने जाना एवं टिकट खरीदना आदि सभी बातें अंकित हैं. जब इस साक्षी द्वारा मृतक को 200/– रूपये दिये गये थे एवं इसमें टिकट की राशि घटाने के बाद बची हुई कुछ नगदी प्राप्त नहीं होने से आवेदकों का यह संदेह अधिक निकट साबित होता है कि मृतक का सामान एवं उसके पास पर्स में अन्य वस्तुऐं भी थीं, जो मिली ही नहीं थी। चूंकि मृतक को गणेशगंज उतरना ही नहीं था, इसलिए रेस्पाडेन्ट का यह तर्क साबित नहीं होता है कि मृतक सामान लेकर उतर रहा था, इसलिए यह संभावना भी निकटस्थ साबित होती है कि मृतक का सामान ट्रेन में ही छूट गया होगा। चूंकि मृतक सागर से दमोह तक की यात्रा कर रहा था, अतः गणेशगंज स्टेशन पर उसके उतरने की यह संभावना भी हो सकती है कि अप्रैल का महीना एवं दोपहर का समय, इसलिए मृतक पानी पीने के लिए नीचे उतर रहा होगा. अतः मेरा यह मानना है कि साक्षी–AW/1 द्वारा कोर्ट के सम्मुख उपस्थित होकर दी गई गवाही अन्य कथनों (आर–1/24 एवं 20) से प्रमाणित होने पर माननीय सुप्रीमकोर्ट के भारतसंघ वि0 रीनादेवी प्रकरण के पैरा क्रमांक–17.1 में अवधारित न्यायसिद्धान्त का लाभ दिया जाना निश्चित ही विधि–अनुरूप ही होगा कि आवेदकों ने घटना के समय मृतक के बोनाफाइड पैसेन्जर होने का अपना दायित्व रेस्पाडेन्ट की ओर स्थानांतरित कर दिया है, जिसे रेस्पाडेन्ट विपरीत साक्ष्य से खण्डित नहीं कर पाया है, इसलिए मैं यही अवधारित करता हूँ कि मृतक के साथ घटित घटना *रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन–123 (C) (2)* के अधीन बोनाफाइड पैसेन्जर के तौर पर यात्रा करते समय अनटुवर्ड इंसीडेन्ट की परिस्थितियों में ही घटित हुई थी, इसलिए इश्यूज क्रमांक–1 एवं 2 का विनिश्चय आवेदकों के ही पक्ष में किया जाता है.

<u>इश्यूज क्रमांक–3</u> :

10. घटना को *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–124 A* के अपवादों में होने को पुख्ता सबूतों द्वारा साबित करने में रेस्पाडेन्ट असमर्थ रहा है इसलिए रेस्पाडेन्ट इसी एक्ट के *सेक्शन–124 A* के अधीन आश्रितों को मुआवजा देने हेतु बंधनकारी है. तदनुसार इश्यूज निर्णीत किया जाता है.

<u>इश्यूज क्रमांक–4 एवं 5 :</u>

11. विवरण में सुसंगता स्थापित करने हेतु इन पर एक साथ विचार किया जा रहा है मृतक की पत्नी, संतान एवं माता–पिता के तौर पर आवेदक ही आश्रित होने से आवेदकों ने यह दावा दाखिल किया है एवं अपने–आप को आश्रित साबित करने के लिए उन की ओर से बुनियादी दस्तावेजों के अलावा मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, आवेदकों के आधारकार्ड, बैंक बचतखाता पासबुक तथा समग्र आयडी *(A-9 & 10)* आदि दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है. साक्षी के तौर पर मृतक के पिता द्वारा कोर्ट के सम्मुख अपने प्रति–परीक्षण में किये गये कथन के अनुसार सभी आवेदक मृतक पर आश्रित है. इस प्रकार मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से सभी आवेदक *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (B) (i)& (ii)* के अधीन मृतक पति/पिता/पुत्र की पत्नी/संतान एवं माता–पिता के तौर पर आश्रित मान्य किये जाते हैं

12. चूंकि यह साबित हो गया है कि मृतक के साथ घटित घटना बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटूवर्ड इंसीडेन्ट की ही घटना है इसलिए *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* की अनुसूची के भाग–एक के अन्तर्गत आश्रितों को प्रतिकर देने हेतु रेस्पांडेन्ट बाध्य है

13. माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए निर्धारित आश्रित *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* की अनुसूची के भाग–एक के अधीन निर्धारित रूपये *8,00,000/-* की राशि एवं इस पर घटना दिनांक *08-04-2019* से भुगतान तिथि *(जिसमें से आवेदक की अनुपस्थिति से सुनवाई में हुए विलंब अवधि यथा दिनांक 26-12-2022 से दिनांक 17-05-2023 तक की अवधि को ब्याज हेतु गणित कुल अवधि में से घटाया जाएगा)* तक 09% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज सहित गणित कुल राशि प्रतिकर के रूप में रेस्पांडेन्ट से प्राप्त करने के हकदार हैं. अतः इश्यूज का निर्धारण करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं :–

:: आ दे श ::

14. अतः रेस्पांडेन्ट को आदेश दिये जाते हैं कि वह कुल प्रतिकर राशि रूपये <u>8,00,000/-</u> में से आश्रितो को निम्नानुसार भुगतान करेगा :–

Sl No	Name of the Applicants	Relationship with deceased	Age in years	Amount awarded (Rs.)	In cash (Rs.) (एवं संदेय आनुपातिक ब्याज)	As Fixed Deposit/ Annuity (Rs.) (एवं संदेय आनुपातिक ब्याज)
1)	श्रीमती नीता रैकवार	पत्नी	44	3,00,000/-	30,000/-	2,70,000/-
2)	देवेन्द्र रैकवार	पुत्र	23	1,00,000/-	10,000/-	90,000/-
3)	दुर्गेश रैकवार	पुत्र	19	1,00,000/-	10,000/-	90,000/-
4)	कुमारी उमा रैकवार	पुत्री	14	1,00,000/-	---	1,00,000/-
5)	दयाराम रैकवार	पिता	75	1,00,000/-	10,000/-	90,000/-
6)	श्रीमती दीपरानी	माता	63	1,00,000/-	10,000/-	90,000/-

निरंतर 7/-

15. रेस्पाडेन्ट उक्त राशि पर घटना दिनांक 08-04-2019 से भुगतान तिथि *(इसमें से आवेदक की अनुपस्थिति से सुनवाई मे हुए विलंब अवधि यथा दिनांक 26-12-2022 से दिनांक 17-05-2023 तक की अवधि को ब्याज हेतु गणित कुल अवधि में से घटाया जाएगा)* तक **09% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का भी सदेय आश्रितों को करेगा.**

16. लाभार्थी/लाभार्थियों के उम्र को दृष्टिगत रखते हुए तथा मुआवजा राशि का दुरूपयोग होने से बचाने के लिए इस राशि की निम्नानुसार जमा/निर्गमन किया जाएगा :-

(1) उक्त तालिका के क्रमांक-1 अर्थात् मृतक की पत्नी को संदत्त कुल प्रतिकर राशि में से सम्बन्धित लाभार्थी को 10% राशि अर्थात् 30,000/- एवं इस पर आनुपातिक ब्याज सहित राशि को लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किया जाएगा जिसको वह तत्काल निकाल सकती है, एवं शेष राशि अर्थात् रुपये 2,70,000/- को 5,000/- (एवं इस पर आनुपातिक ब्याज) प्रति माह के हिसाब से एक माह से 54 माह की अवधि के लिए आरोही क्रम में फिक्स्ड डिपाजिट में रखा जाएगा. प्रत्येक एफडीआर की परिपक्वता राशि सम्बन्धित लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा की जाएगी.

(2) उक्त तालिका के क्रमांक-2 एवं 3 अर्थात् मृतक की संतान को संदत्त कुल प्रतिकर राशि में से सम्बन्धित लाभार्थी को 10-10% राशि अर्थात् 10-10 हजार एवं इस पर आनुपातिक ब्याज सहित राशि को लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किया जाएगा जिसको सम्बन्धित लाभार्थी तत्काल निकाल सकते हैं, एवं शेष राशि अर्थात् रुपये 90-90 हजार को 2-2 हजार (एवं इस पर आनुपातिक ब्याज) प्रति माह के हिसाब से एक माह से 45 माह की अवधि के लिए आरोही क्रम में फिक्स्ड डिपाजिट में रखा जाएगा. प्रत्येक एफडीआर की परिपक्वता राशि सम्बन्धित लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा की जाएगी.

(3) उक्त तालिका के क्रमांक-4 अर्थात् मृतक संतान चूंकि अवयस्क है इसलिए ब्याज सहित संदत्त कुल प्रतिकर राशि को 60 माह की अवधि के लिए फिक्स्ड डिपाजिट में रखा जाएगा एवं इस पर अर्जित ब्याज त्रैमासिक तौर पर इसके लालन-पालन के लिए नैसर्गिक संरक्षक के तौर पर माता होने से आवेदक क्रमांक-1 द्वारा आहरित किया जाएगा.

(4) उक्त तालिका के क्रमांक-5 एवं 6 अर्थात् मृतक के माता-पिता को संदत्त कुल प्रतिकर राशि में से सम्बन्धित लाभार्थी को 10-10% राशि अर्थात 10-10 हजार एवं इस पर आनुपातिक ब्याज सहित राशि को लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा किया जाएगा जिसको सम्बन्धित लाभार्थी तत्काल निकाल सकते हैं, एवं शेष राशि अर्थात् रुपये 90-90 हजार को 3-3 हजार (एवं इस पर आनुपातिक ब्याज) प्रति माह के हिसाब से एक माह से 30 माह की अवधि के लिए आरोही क्रम में फिक्स्ड डिपाजिट में रखा जाएगा. प्रत्येक एफडीआर की परिपक्वता राशि सम्बन्धित लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा की जाएगी.

17. अतः लाभार्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वे अपने निवासस्थान के नजदीक स्थित किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल्ड बैंक के नवीनतम बचतखाते की जानकारी रेस्पांडेन्ट रेलवे को

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के साथ–साथ इस पीठ की रजिस्ट्री के अपर पंजीयक महोदय के पास भी अविलंब उपलब्ध कराएगा। रेस्पांडेन्ट रेलवे इस आदेश की प्रति प्राप्ति से 60 दिवसों के भीतर लाभार्थी को आगे दिये गये निर्देशानुसार भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।

18. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या–2021/TC/-III/2610, dtd 29-09-2021 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में रेस्पांडेन्ट रेलवे जल्दी–से–जल्दी दावा राशि के भुगतान का प्रबंध करेगा, किन्तु इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो रेस्पांडेन्ट आगे की अवधि के लिए भुगतान तिथि तक 12% वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।

19. भारत सरकार ने 03 जून, 2020 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें रेलवे दुर्घटनाओं और अनपेक्षित दुर्घटनाओं (मुआवजा) संशोधन नियमों, 2020, संशोधित नियम–5 में किये गये संशोधन के अनुसार लाभार्थियों के नवीनतम बचत खाते निम्नलिखित शर्तों के अधीन खोले जाएंगे :–

1) ऐसे खातों में एटीएम/डेबिट कार्ड जारी नहीं किये जाएंगे.
2) इन खातों में चैकबुक भी जारी नहीं की जाएगी.
3) ऐसे खातों में इलेक्ट्रानिक सुविधा से राशि स्थानांतरित नहीं की जाएगी.
4) ऐसे खातों में मोबाइल अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी नहीं रहेगी

20. आवेदक/लाभार्थी यदि नवीनतम बचत खातों का विवरण नहीं देते हैं तो विद्यमान बैंक दावा राशि के भुगतान के वितरण से पहले आवेदक/लाभार्थी के मौजूद बचत खातों में से चैकबुक को निरस्त कर देगा एवं साथ ही एटीएम/डेबिट कार्ड को भी निरस्त कर देगा। बैंक खाते में दी गई मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को भी बंद कर देगा एवं उपर्युक्त सुविधाओं को बंद करने बाबत बैंक आवेदक/लाभार्थी के बैंक पासबुक में उचित प्रविष्टि करके अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ सील भी लगाएगा.

21. इन खातों से धन की निकासी केवल 'निकासी फार्म' के द्वारा ही की जाएगी

22. आवेदक/लाभार्थी अपने निवास के समीप स्थित बचत खाते का विवरण, जिस पर उचित पृष्ठांकन किया गया हो, अपनी पहचान के दस्तावेज के रूप में आधारकार्ड/पैनकार्ड अथवा अन्य कोई उचित पहचान का दस्तावेज तथा अपने नवीनतम पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ्स एवं नमूने के हस्ताक्षर आदि रजिस्ट्री के पास जमा करेंगे.

23. इस पीठ की अनुमति के बिना आवेदक/लाभार्थी के उक्त बचत खातों का स्थानांतर नहीं किया जा सकेगा.

24. लाभार्थी से प्राप्त उक्त बैंक विवरण से रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही इसे अपर पंजीयक को हस्तांतरित करेंगे.

25. रेस्पांडेन्ट लाभार्थियों को संदेय राशि का भुगतान इस रजिस्ट्री के *Suitors Account No.* 10064520760 *IFSC Code :* SBIN0005798 *(State Bank of India, Shivaji Nagar Branch, BHOPAL (MP)* बैंक खाते में RTGS के द्वारा इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर जमा करते हुए इसकी सूचना अपर पंजीयक को भी देगा.

26. यह पुनः आदेशित किया जाता है कि रजिस्ट्री *Suitors Account* बैंक अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक शिवाजी नगर शाखा, भोपाल को कहेगा कि बैंक सावधि जमा खाते से पैसा निकालने की अनुमति तब तक नहीं देगा, जब तक कि उसे इस पीठ से लिखित में आदेश न दिया जाए

27. पीठ द्वारा पारित इस आदेश की कॉपी आवेदक/लाभार्थी अपनी बैंक शाखा को प्रस्तुत करेंगे ताकि बैंक पीठ द्वारा खाते से सम्बन्धित शर्तों की पूर्तता करते हुए इसका पृष्ठांकन

Sd/-

रेल दावा अधिकरण, रेल भोपाल पीठ, भोपाल
प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

आवेदक/लाभार्थी की पासबुक में करेगा. उक्त पृष्ठांकन के साथ अपनी पासबुक एवं आधारकार्ड, पेनकार्ड अथवा पहचान का उचित दस्तावेज आवेदक/लाभार्थी सीधे रेस्पाडेन्ट को प्रस्तुत करेंगे.

28. दावा राशि के भुगतान के पूर्व रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं इस बात पर संतुष्ट होगा कि आवेदक/लाभार्थी द्वारा जो बचत खातों की जानकारी दी गई है, वे उसके निवासस्थान के नजदीक स्थित है एवं उक्त खाते में चैकबुक, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग आदि की सुविधा बंद की जा चुकी है एवं पीठ के अनुमति के बिना ये सुविधाएँ शुरू नहीं की जाएगी.

29. लाभार्थी/आवेदक को संदेय दावा राशि की सुरक्षा हेतु बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तुत किया गया खाता संयुक्त न होकर एकल ही होगा. (नैसर्गिक संरक्षक के द्वारा संचालित किये जा रहे अवयस्क खातों को छोड़कर)

30. बैंक आवेदक/लाभार्थियों की फिक्स्ड डिपाजिट रसीदों को अपने ही पास सेफ कस्टडी में रखेगा, जिसका स्टेटमेंट (अर्थात् एफडीआर नंबर, राशि, परिपक्वता की तारीख एवं परिपक्वता की राशि) वह लाभार्थी को अवश्य उपलब्ध कराएगा. उक्त एफडीआर की परिपक्वता पर ब्याज सहित परिपक्वता राशि को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात् ECS के द्वारा लाभार्थी के बचत खाते में जमा किया जाएगा. इस पीठ के आदेशों के बिना एफडीआर पर न तो लोन दिया जाएगा एवं न ही इस पर अग्रिम स्वीकार किया जाएगा. इस एफडीआर को परिपक्वता से पूर्व भी भुनाया नहीं जा सकेगा. पीठ के दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश की प्रति स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के नोडल अधिकारी/शाखा प्रबंधक को भी भेजी जाएगी.

31. इस आदेश के 90 दिनों के भीतर रजिस्ट्री अनुपालन रिपोर्ट पेश करेगी.

32. माननीय सुप्रीमकोर्ट द्वारा प्रकरण *M.R.Krishnamurthy vs. New India Assurance Company Ltd. in CA 2476/2477 of 2019; decided on 5th March, 2019* के पैरा–40 में सभी दावा अधिकरणों को दिल्ली हाईकोर्ट के *राजेश त्यागी वि. जय वीर सिंह* प्रकरण में जमा योजना से सम्बन्धित दिशा–निर्देशों का पालन करने हेतु कहा गया है.

33. तदनुसार इस मूल दावा आवेदन का निस्तारण किया जाता है.

34. पक्ष अपना–अपना वादव्यय वहन करेंगे.

35. इस आदेश की प्रति पक्षों को नियमानुसार प्रदान की जाएगी.

36. प्रकरण–फाइल रेकार्ड रूम को प्रेषित की जाए.

Sd/-

(आलोक कुमार शुक्ल)
सदस्य (तकनीकी)
रेल दावा अधिकरण, भोपालपीठ

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 28th November, 2023 को उद्घोषित होकर हस्ताक्षरित किया गया.

Sd/-

(आलोक कुमार शुक्ल)
सदस्य (तकनीकी)
रेल दावा अधिकरण, भोपालपीठ

रेल दावा अधिकरण * प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि * भोपाल पीठ, भोपाल

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल